बिहार सरकार

अनौपचारिक रूप के आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

श्रम संसाधान विभाग

पत्रांक-2/यो0-5011/2015-

पटना-15, दिनांक-

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय:- **नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम** योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में (**A**) राज्य के सभी नियोजनालयों तथा पी0 पी0 पी0 मोड में स्थापित कैरियर इन्फार्मेशन सेन्टर के पुस्तकालय / वाचनालय योजना का वर्ष 2015-16 हेतु अवधि विस्तार, (**B**) सभी जिलों में जिला, प्रमण्डलीय स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर पर नियोजन-सह- मार्गदर्शन मेला का आयोजन कराने की चालू योजना का वर्ष 2015-16 हेतु अवधि विस्तार एवं (**C**) नियोजन पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने संबंधी चालू योजना का वर्ष 2015-16 हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति ।

आदेश:- **स्वीकृत** ।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत **नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम** योजना के तहत् वित्त विभाग के पत्रांक संख्या-ब-17/बी0 एस0 जी0-22/2015-295 (वि) दिनांक-24.03.2015 एवं पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 द्वारा प्राप्त शक्तियों के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त कुल उपबंध ₹ 1,85,00,000.00(एक करोड़ पचासी लाख) में से ₹ 1,20,13,875.00 **(एक करोड़ बीस लाख तेरह हजार आठ सौ पचहत्तर)** मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार से दी जाती है:-

3. (A) राज्य योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न नियोजनालयों एवं विश्वविद्याालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में पूर्व से स्थापित 43 कैरियर सूचना केन्द्र (सी0 आई0 सी0) तथा (पी0 पी0 पी0 मोड) में कार्यरत् 13 कैरियर सूचना केन्द्र में स्थापित पुस्तकालय / वाचनालय के माध्यम से कियान्वित नियोजन मार्गदर्शन कार्यक्रम को बनाये रखने तथा बेरोजगार युवाओं के लिए इन्हें अधिक लाभकारी बनाने के उदेश्य से प्रभावशाली आधारभूत संरचना स्थापित करते हुए उनके सुदृढ़ीकरण हेतु कुल ₹20 लाख के व्यय पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए योजना की अवधि विस्तारित की जाती है। संलग्न विवरणी स्तंभ 4 के अनुरूप ₹ 35710 प्रति सी0 आई सी0 की दर से 55 सी0 आई0 सी के लिए आवंटन उन केन्द्रों से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दिया जायेगा। अवर प्रादेशिक नियोजनालय पटना स्थित सी0 आई0 सी0 को ₹ 35950 रूपये आवंटित किया जायेगा।

स्वीकृत राशि से पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया राशि, यदि कोई हो तो, के भुगतान हेतु भी व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

स्वीकृत राशि से सी0 आई0 केन्द्रों के लिए व्यासायिक मार्गदर्शन से संबंधित अध्ययन सामग्री, सी0 डी0, पुस्तक, प्रतियोगी पत्रिकाएँ, रोजगार समाचार, दैनिक समाचार पत्र एवं बुक शेल्फ इत्यादि का क्रय कर सी0 आई0 सी0 में अध्ययन एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु आगंतुक बेरोजगार युवाओं के लिए अधिक लाभकारी बनाया जायेगा। इच्छुक बेरोजगार आगंतुक सी0 आई0 सी0 में स्वयं आकर नि:शुल्क अध्ययन करेंगे तथा यदि चाहेंगे तो उपलब्ध पुस्तक पत्रिका / समाचार पत्रों के अंश की छायाप्रति प्राप्त कर सकेंगे। अध्ययन सामग्री, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र एवं सामग्रियों का क्रय कैरियर सूचना केन्द्र के संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। वे क्रय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त करेंगें। नियमानुसार व्यय का लेखा जोखा एवं अभिलेखों का पोषण निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(कृ० पृ० उ०)

(B) राज्य के 38 जिलों/ 08 विश्वविधालयों /09 प्रमंडलों में नियोजन-सह-मार्गदर्शन मेला आयोजित करने के लिए ₹ 95,13,875.00 (**रूपये पंचानवे लाख तेरह हजार आठ सौ पचहत्तर**) मात्र के व्यय पर योजना का अवधि विस्तार वर्ष 2015-16 के लिए किया जाता है। वर्ष भर में राज्य के सभी जिले में जिला स्तरीय दो (02), सभी विश्वविद्यालयों में एक (01) तथा सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में प्रमण्डल स्तरीय एक (01), नियोजन मेले का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक नियोजन मेला में रू0 एक लाख मात्र तक का व्यय किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 का बकाया सहित (संलग्न विवरणी के स्तम्भ-5 के अनुसार) इस हेतु प्रति मेला रू0 एक लाख की दर से कुल ₹ 9513875/- का आवंटन संबंधित सहायक निदेशक नियोजन/जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी को दिया जायेगा। उक्त राशि में अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना को ₹ 83875/-एवं मोतिहारी को ₹ 1,30,000/- पूर्व के बकाया भुगतान हेतु राशि भी सम्मिलित है।

स्वीकृत राशि से आवश्कतानुसार पूर्व के बकाया राशि का भुगतान भी किया जायेगा।

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य एवं अर्न्तराज्यीय प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के नियोजकों से सम्पर्क स्थापित कर निदेशालय नियोजन द्वारा निर्धारित तिथि को उन्हें नियोजन मेला में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे। वे नियोजन मेला का समुचित प्रचार एवं प्रसार करायेंगे तथा जिले में उपयुक्त स्थान का चयन कर नियोजन मेला आयोजन के लिए स्थान आरक्षण करायेंगे । नियोजन मेला में नियोजको एवं आवेदकों हेतु उपयुक्त स्टॉल, पंडाल आदि की व्यवस्था करायेंगे जिसमें टेबुल, कुर्सी, पंखा, रोशनी, जेनरेटर इत्यादि की व्यवस्था होगी मेला के दिन नियोजकों के लिए पानी, नास्ता एवं खाने का प्रबंध करेंगे। यदि नियोजकों द्वारा आग्रह किया जाय तो उनके ठहरने की भी व्यवस्था की जा सकेगी आवश्यकतानुसार वाह्य स्त्रोत से नियामानुसार वाहन का उपयोग भी किया जा सकेगा। समुचित व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार में निदेशालय द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उपर्युक्त अंकित व्यय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश एवं प्रकिया के अनुसार गठित स्थानीय क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त की जा सकेगी । नियमानुसार व्यय का लेखा-जोखा एवं अभिलेखों का पोषण संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे ।

(C) निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के क्षेत्राधीन नियोजन सेवा के पदाधिकारियों / कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण की परियोजना का ₹5,00,000.00 (रूपये पाँच लाख) मात्र (संलग्न विवरणी के स्तम्भ-6 के अनुसार) राशि के व्यय पर वर्ष 2015-16 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है। प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम विभाग की सहमति से निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा कराया जायेगा । प्रशिक्षण या तो किसी संस्थान में या किसी अन्य जगहों पर करायी जा सकेगी जिसके लिए फैकल्टी / नियोजन सेवा के वरीय पदाधिकारी / केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली के पदाधिकारी / सर्टेस , नई दिल्ली के पदाधिकारी होंगे । आवश्यकता पड़ने पर वाह्य संस्थानों से भी फैकल्टी को आमंत्रित किया जा सकेगा जिनके लिए मानदेय भुगतान की कार्रवाई नियमानुसार की जा सकेगी । आवश्यकतानुसार विभागीय क्रय समिति की अनुशंसा भी प्राप्त की जा सकेगी ।

3. गत वर्ष 2014-15 में इस योजना की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-447 दिनांक-02.06.2014, एवं पत्रांक-242 दिनांक-02.03.2015 द्वारा दी गई थी ।

4. यह योजना चालू योजना है । इस योजना के अन्तर्गत व्यय **मुख्य शीर्ष**- ''2230-श्रम तथा रोजगार, उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवायें, समूह शीर्ष-राज्य योजना, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवायें, उप शीर्ष-0111-**नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम** मांग संख्या-26 विपत्र कोड संख्या-पी0-2230021010111 के अन्तर्गत कंडिका-A से संबंधित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विषय शीर्ष- ''13 01-कार्यालय व्यय '' से, कंडिका-B में अंकित प्रस्ताव के कार्यन्वयन हेतु विषय शीर्ष-''20 02 कान्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार'' से तथा कंडिका-C में अंकित प्रस्ताव के कार्यन्वयन हेतु विषय शीर्ष-''20 03-प्रशिक्षण व्यय'' मद से विकलनीय होगा ।

5. उक्त योजनान्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत किया जायेगा जो नियंत्री पदाधिकारी हैं ।

(कृ० पृ० उ०)

6. योजना हेतु आवश्यक उदव्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है । यह चालू योजना है ।

7. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन) / जिला नियोजन पदाधिकारी /नियोजन पदाधिकारी होंगे तथा निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय बिहार, पटना होंगे ।

8. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ0-6. /टि0 पर प्राप्त है ।

9. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

10. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन पृ0-6/ टि0 पर प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधान विभाग ।

पटना-15, दिनांक-

ज्ञाप संख्या:-2/यो0 5011/2015-

प्रतिलिपि:- राज्य के सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी / सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

ह0/-
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधान विभाग ।

पटना-15, दिनांक- 18.6.15

ज्ञाप संख्या:-2/यो0 5011/2015- 614

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री,श्रम संसाधान विभाग बिहार,पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधान विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

18/6/15

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधान विभाग।